भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4382
19 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

कृषि निर्यात में हिस्सेदारी

†4382. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि निर्यात में देश की प्रतिशत हिस्सेदारी और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके योगदान का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान अपव्यय के कारण कृषि उपज को हुए नुकसान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के कुल निर्यात में कृषि-खाद्य निर्यात का हिस्सा 11.2% है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2.24 लाख करोड़ रुपये (प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार) है।

(ख): भारत से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात घरेलू और वैश्विक कारकों के जटिल अंतर्संबंध से प्रभावित होता है। भंडारण, परिवहन, लाजिस्टिक और प्रसंस्करण सुविधाओं सहित कुशल आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने निर्यात में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है, कि यह पूरी तरह से आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं के कारण हैं। हालांकि, एमओएफपीआई विभिन्न पहलों और योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र और सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखता है। उपर्युक्त योजनाओं के विभिन्न घटकों के अंतर्गत, एमओएफपीआई खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्मित अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर आय प्रदान करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, अपव्यय को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना है।

(ग): एमओएफपीआई प्राथमिक सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययनों के माध्यम से देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर फसलोत्तर नुकसान का अनुमान लगाता है। मंत्रालय द्वारा दो अध्ययन: (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट), वर्ष 2015 संदर्भ वर्ष 2012-14 और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबकोंस), वर्ष 2022 संदर्भ वर्ष 2020-22 कराए गए थे। फसलोत्तर नुकसान पर उपलब्ध अध्ययन आवधिक प्रकृति के हैं और 2014 के बाद से वर्ष-वार अनुमान प्रदान नहीं करते हैं। इन अध्ययनों के आधार पर, प्रमुख फसलों/वस्तुओं के फसलोत्तर नुकसान का प्रतिशत अनुमान निम्नलिखित है:

प्रमुख फसलों और वस्तुओं का फसलोत्तर नुकसान

फसलें/वस्तुएं	**नुकसान (%)**	
	आईसीएआर- सीफेट अध्ययन (2015) के अनुसार*	**नैबकोंस अध्ययन (2022) के अनुसार****
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गी पालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

स्रोत: *भारत में प्रमुख फसलों और वस्तुओं की कटाई और कटाई के बाद होने वाले मात्रात्मक नुकसान के आकलन पर रिपोर्ट, 2015 ** नैबकोंस अध्ययन 2022
